

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीना आर ए एस.
राजस्व लोक अदालत अभियान 2018-कैम्प न्यायालय हाजा

राजस्व वाद सं० 123/2017

प्रेमलता खेतान पत्नी सुरेश चन्द खेतान जाति महाजन निवासी खेतानों का मोहल्ला झुन्डुनू
-वादी

1. सांवरमल पुत्र नथराम
2. मोहनीदेवी पत्नी झाबरराम
3. आनन्दीलाल पुत्र महावीर प्रसाद
4. विमला पत्नी महावीरप्रसाद
5. इन्द्रकुमार पुत्र भगवती प्रसाद
6. रिंकी कुमारी पुत्री भगवती प्रसाद समस्त जाति स्वामी निवासी ग्राम मांडासी तहसील नवलगढ
7. भारतीय स्टेट बैंक शाखा झुन्डुनू जरिये शाखा प्रबंधक
8. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्डुनू
-प्रतिवादीगण

बनाम

बतवप्रतिवादी संशोधित निर्णय 29.5.18
सं. नं. 123/17 - प्रस्ताव प्रेमलता सांवरमल आदि
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

दावा बाबत विभाजन
संशोधित- निर्णय

निर्णय दिनांक 29.05.2018

वाद वादीगण दिनांक दिनांक 23.05.2018 को जारी निर्णय व डिक्री में वादी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन पश्चात निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

आदेश

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। संशोधित निर्णयानुसार ग्राम माण्डासी की भूमि ख.न. 157 रकबा 3.08 है० का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है-

1. प्रेमलता खेतान धर्मपत्नी सुरेशचन्द्र खेतान जाति महाजन निवासी खेतानों का मोहल्ला झुन्डुनू को भूमि ख.न. 157/2 रकबा 0.3485 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. भूमि ख.न. 157/1/2.7315 है० में सांवरमल पुत्र नथूदास को हि० 0.6781 है० का व शेष 2.0534 है० में आनन्दीलाल पुत्र महावीरप्रसाद विमलादेवी पत्नी स्व० महावीरप्रसाद हि० 1/3 इन्द्रकुमार पुत्र भगवतीप्रसाद रिंकी कुमारी पुत्री भगवती प्रसाद हि.ब.हि. 1/6 मोहनी पत्नी स्व० झाबरराम हि० 1/2 जाति स्वामी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आनन्दीलाल का हिस्सा 1/6 भारतीय स्टेट बैंक शाखा झुन्डुनू के मूर्तहीन सांवरमल का हि० 0.6781 है० बलौदा राज० क्षेत्रीय ग्रा.बैंक शाखा मुकुन्दगढ के रहन दर्ज की जावे।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्या डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Handwritten signature and date: 29/5/18